संख्या- 67 /2022/ 346 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2022

विषय:- सोशल मीडिया टीम हेतु कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य व्यवस्था हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5082/19-आजादी@75(कम्प्यूटर)/2021-22(1) दिनांक 10 मार्च, 2022 तथा पत्र संख्या-4416/19/आजादी@75(कम्प्यूटर)/2021-22 दिनांक 22 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रदेश में कराये जा रहे कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया टीम के उपयोगार्थ कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य व्यवस्था हेतु रू0 24,76,846.00 (रूपये चौबीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ छियालिस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-4416/19/आजादी@75(कम्प्यूटर)/2021-22 दिनांक 22 फरवरी, 2022 में उल्लिखित विवरण के अनुसार कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य व्यवस्था के लिए नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नही की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा। कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नही देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नही की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1- 375 /दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों मे दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव- 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 67 /2022 / 346 (1) /चार-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।